

**कार्यालय
संविदा, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश (अखण्ड)**

संख्या - संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971

तारीख: दिनांक: 13-9-2020

-कार्यालय प्रज्ञा-

प्रिय काका/माता/पिता जी/पति/पत्नी/सहोदर/सहोदरी जी, आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है। आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है। आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है।

आपके पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है। आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है। आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है। आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है। आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है।

क्र. सं.	विवरण	आय का प्रकार	आय का नाम	दस्तावेज सं. सं.	दस्तावेज सं. सं. 2020-21 में अंतिम आय	दस्तावेज सं. सं. /सं. सं. 2020-21 में अंतिम आय
1

आपका ध्यान

- ✓ आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है।
- ✓ आपका पत्र संख्या संविदा/संविदा, अखण्ड/2020/1971 दिनांक 13-9-2020 को प्राप्त हुआ है।

Principal
 Ananya Charitable Institutions
 Faculty of Pharmacy, Meerut
 (U.P.)

प्रस्तावित

अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद

द्वार प्रवेश सम्बन्धित।

संख्या- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3537

तारखतः दिनांक: 09/08/2021

सम्बन्धित कार्य:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (एनसी ईटीई) के अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक संव 2021-22 हेतु विद्यार्थी आदीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदित प्रवेश किन् जन्मे के उपलक्ष्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संस्थान से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किन् जन्मे हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद का स्थायी से सम्बद्धता समिति की बैठक संव 2021-22 हेतु आयोजित की गयी। बैठक में समिति द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित एवं संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करना प्रयोग प्रयोग कृति साक्षात् अन्य मंडी पर विचार करते हुए संव 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किन् जन्मे का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये निर्णय के अनुसार से निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संव 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश प्रदान एवं जन्मे अखिल प्रदेश संस्था हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2044-ACHARYA CHANKAYA MAHAVIDYALYA FACULTY OF PHARMACY MAHMOODPUR SEMAR SULTANPUR-229142

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईएसीटीई/सीसीआईए द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संव 2044-ACHARYA CHANKAYA MAHAVIDYALYA द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद विभाग/संस्था 1052, मेसेजर विभाग/संस्था 2010 तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग एवं उत्तर प्रदेश का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क एवं वर्षीय हार्दिक पाठ्यक्रमों हेतु संव 2021-22 के लिए, दो वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम के अधिनियम हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में अनुपालन पर कायम द्वारा लिया जाएगा जन्मे जन्मे वास्तविक प्रमाणी होगे, और अनुपालन कार्यालयी विद्या वास्तविक प्रमाणित होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा संव 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाया है, जो प्रवेश की नवीनता पर लागू होगा।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समिति/संस्था एवं उत्तर प्रदेश, संस्थाओं की सम्बद्धता किन् जन्मे विभाग/संस्था 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुपालन प्रवेश प्रवेश परिषद द्वारा अनुमोदित शर्तों को ही प्रयोग दिया जाएगा। शीत के विचार एवं जन्मे की समिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यालयी की समिति।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय कार्यालय के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क प्राप्त करना होगा।


Principal
Acharya Chankaya Mahavidyalaya
Faculty of Pharmacy, Mahmoodpur
Semar, Saharanpur (U.P.)

कार्यालय

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथि/परिषद संशोध/सम्बद्धता/2022/10770

लखनऊ दिनांक: 15/12/2022

कार्यालय स्तर:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु किम्प्लेनट सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य माहों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा तैयार गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता पत्र तत्समय पीसीआई द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पीसीआई के पत्र संदर्भ संख्या 14-443/2022-PCII/Approval Process 2022-2023/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों क्रम में प्रस्ताव संस्थाओं से पूर्व में इंगित कमियों के निराकरण का विवरण एसआई(एफए) पर अपलोड करते हुए निर्धारित प्रारूप पर साधक पत्र टाइटिल करने के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अभिलेखों के साथ-साथ साधक पत्र लेकर बहाल की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस सत्र के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एसआई(एफए) का समायोजन करना होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 2044-ACHARYA CHANKAYA MAHAVIDYALYA FACULTY OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदत्त संघटित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एसआईसीआईपीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश धर्मावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीसी निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पीसी का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीसी की नवीनतम दर लागू होगी।
- संस्था में संगुणा प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।


Principal
Acharya Chankya Mahavidyalaya
Faculty of Pharmacy, Lucknow
Lucknow, Uttar Pradesh (U.P.)

- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उपाध्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्य तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्य द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- यदि संस्थानों का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अप्रोजेक्ट प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/बीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- संस्था को निक्षण-प्रविक्षण हेतु उपर्युक्त बातवचन उपलब्ध करने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था के औद्यक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

[]

(एफ०आर० खान)

सचिव

सूचना- प्राविधिकपरिषद संघीय सम्बद्धता/2022/10771-11008

15/12/2022

प्रतिक्रिया-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ACHARYA CHANKAYA MAHAVIDYALYA FACULTY OF PHARMACY

[]

(एफ०आर० खान)

सचिव


 Principal
 Acharya Chankaya Mahavidyalaya
 Faculty of Pharmacy, Meerut
 Sector, Sahaspur (L.P.)